

प्रेस नोट दिनांक- 22-01-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव चौकी प्रभारी जिला अस्पताल उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 443/20 धारा 147/148/332/353/323/504/506/427 भादवि0 व 07 क्रि0ला0 अवे0 एक्ट के वांछित अभियुक्त राजेश पुत्र भईयालाल निवासी कैम्प का पुरवा डिलौरा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी

2. आरक्षी लवलेश कुमार

(ii). उ0नि0 श्री सलाउद्दीन थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 12/17 धारा 147/148/149/504/307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बेटा कोल पुत्र श्यामलाल कोल निवासी करौंहा थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सलाउद्दीन थाना मारकुण्डी

2. आरक्षी विनय कुशवाहा

(iii). वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 100/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त सुबराती पुत्र रउप निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा थाना बरगढ़

2. उ0नि0 श्री रामसिंह

3. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

4. आरक्षी शिवधनी प्रजापति

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री रामकिशोर पुत्र श्री नत्थ प्रसाद यादव निवासी सरैयां थाना मानिकपुर ने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके ससुर रामराज पुत्र चुनवाद यादव निवासी इंगुवा थाना मरका जनपद बांदा द्वारा उसकी पत्नी सरला को 01 वर्ष से ससुराल नहीं भेज रहे हैं, व जब वह विदा कराने जाता है तो गाली गलौज, मारपीट करते हैं।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 22.01.2021 को आपस में सुलह की गयी । सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 22.01.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बैंक/बिसण्डा तिराहा/बस स्टैण्ड में,

एंटि रोमियो टीम महिला थाना द्वारा मलकाना मजरा मोहल्ला सीतापुर क्षेत्र में, एंटि रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम दुगंवा मे भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया ।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।